

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 23
उत्तर देने की तारीख-01/12/2025

छात्रों की आत्महत्या के मामले

†23. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पिछले दस वर्षों के दौरान देश में छात्रों द्वारा की गई आत्महत्याओं के कुल मामलों की संख्या वर्तमान वर्ष सहित वर्षवार, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और आयुवार क्या है;
- (ख) शैक्षणिक दबाव, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, वित्तीय संकट या अन्य कारकों सहित ऐसी आत्महत्याओं के लिए पहचान किए गए मुख्य कारणों का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या सरकार ने छात्रों में आत्महत्या के मामलों को कम करने के लिए कोई समयबद्ध योजना या राष्ट्रीय ढांचा तैयार किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, केंद्र और राज्य दोनों एक सक्षम शिक्षा परिस्थितिकी तैयार करने हेतु सहकार्यात्मक रूप से कार्य करते हैं।

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) पुलिस द्वारा दर्ज आत्महत्या के मामलों से आत्महत्या संबंधी आंकड़े एकत्र करता है। देश में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या से संबंधित आंकड़ों का व्यापक विश्लेषण, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या (एडीएसआई) रिपोर्ट में प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। छात्र आत्महत्याओं का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा एडीएसआई रिपोर्ट में उपलब्ध है, जिसे <https://ncrb.gov.in/accidental-deaths-suicides-in-india-year-wise.html> पर देखा जा सकता है।

इन रिपोर्टों के अनुसार, आत्महत्या के विभिन्न कारण जैसे पेशेवर/कैरियर संबंधी समस्याएं, अकेलेपन की भावना, दुर्यवहार, हिंसा, पारिवारिक समस्याएं, मानसिक विकार, शराब की लत, वित्तीय नुकसान, पुराना दर्द आदि हैं।

जहां तक केंद्र सरकार का संबंध है, आत्महत्या के मामले से निपटने के लिए सरकार बहुआयामी उपाय कर रही है और आत्महत्या की घटनाओं से बचने के लिए विद्यार्थियों, शिक्षकों और परिवारों को मानसिक और भावनात्मक कल्याण हेतु मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान कर रही है।

शिक्षा मंत्रालय की एक पहल, मनोदर्पण, मानसिक और भावनात्मक कल्याण हेतु विद्यार्थियों, शिक्षकों और परिवारों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करती है जैसे कि राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन जो प्रशिक्षित परामर्शदाता के माध्यम से कॉल करने वालों को मार्गदर्शन प्रदान कर रही है; और लाइव इंटरैक्टिव सत्र 'सहयोग' व वेबिनार 'परिचर्चा' जो सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विद्यार्थियों सहित सभी हितधारकों के बीच मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए नियमित रूप से आयोजित की जाती है। ये सत्र पीएम ई-विद्या चैनलों पर प्रसारित किए जाते हैं और 'एनसीईआरटी के आधिकारिक' यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध हैं।

यूजीसी ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम कार्यनीति को प्रसारित करते हुए दिनांक 06 जनवरी, 2023 को उच्चतर शिक्षा संस्थानों को परामर्श जारी किया है। राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम कार्यनीति के तहत भारत में आत्महत्याओं की रोकथाम के लिए गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए कई हितधारकों के लिए एक रूपरेखा प्रदान की गई है। इस राष्ट्रीय कार्यनीति का उद्देश्य वर्ष 2030 तक देश में आत्महत्या से होने वाली मृत्यु दर को 10% तक कम करना है। एनएसपीएस, 2022 इस मंत्रालय की वेबसाइट <https://mohfw.gov.in/sites/default/files/National%20Suicide%20Prevention%20Strategy.pdf> पर उपलब्ध है।

यूजीसी ने उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में शारीरिक फिटनेस, खेल, विद्यार्थियों के स्वास्थ्य, कल्याण, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश दिनांक 13.04.2023 को जारी किए हैं।

शिक्षा मंत्रालय ने दिनांक 10.07.2023 को उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में विद्यार्थियों के भावनात्मक और मानसिक कल्याण के लिए एक व्यापक रूपरेखा भी प्रसारित की है, जिसमें संस्थानों से अनुरोध किया गया है कि वे इसे अपनी कार्यप्रणाली में सक्रिय रूप से शामिल करें और विद्यार्थी समुदाय में आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न करें। तदनुसार, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी गांधीनगर और आईआईटी रुड़की ने मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन संबंधी कार्यशालाएं आयोजित की हैं।

उच्चतर शिक्षा विभाग ने मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य, व्यवहार्यता और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण की शुरुआत की। इसमें ऑनलाइन और व्यक्तिगत सत्र, नवीन मानसिक स्वास्थ्य प्रथाओं वाली संस्थाओं का दौरा और वार्षिक राष्ट्रीय कल्याण सम्मेलन शामिल हैं। इसका लक्ष्य विद्यार्थियों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का शीघ्र समाधान करने के लिए संकाय को सशक्त बनाना है।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा कोचिंग सेंटरों के विनियमन हेतु दिशानिर्देश दिनांक 16.01.2024 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उचित कानूनी रूपरेखा के माध्यम से विचार करने के लिए जारी किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों में कई प्रमुख पहलुओं को शामिल किया गया है, जिनमें मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर बल देना, कोचिंग केंद्रों में परामर्शदाताओं और मनोवैज्ञानिकों के सहयोग को प्राथमिकता देने का समर्थन करना, बैचों में अलगाव न करना, अभिलेखों का रखरखाव आदि शामिल हैं।

मानसिक विकारों की समस्या से निपटने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमएचएफडब्ल्यू) देश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) कार्यान्वित कर रहा है। एनएमएचपी के जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) घटक को 767 जिलों में कार्यान्वयन हेतु संस्वीकृति दी गई है, जिसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) के स्तर पर डीएमएचपी के तहत उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के साथ-साथ, आउट पेशेंट सेवाएं, मूल्यांकन, परामर्श/मनो-सामाजिक उपाय, गंभीर मानसिक विकारों वाले व्यक्तियों के लिए निरंतर देखभाल और सहायता, दवाएं, प्रसार सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं आदि शामिल हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त, सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए भी कदम उठा रही है। सरकार ने 1.81 लाख से अधिक उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में स्तरोन्नत किया है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं के पैकेज में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ा गया है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मानसिक, न्यूरोलॉजिकल और सामाग्रीयों के सेवन से संबंधित विकारों (एमएनएस) पर विभिन्न केंद्रों के लिए परिचालन दिशानिर्देश और प्रशिक्षण नियमावली आयुष्मान भारत के तहत जारी की गई हैं।

देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए वर्ष 2022 में एक राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया है। दिनांक 17.07.2025 की स्थिति के अनुसार, 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्य भर में 53 टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता और नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स (मानस) प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं। हेल्पलाइन नंबर पर 29,75,000 से अधिक कॉल का उत्तर दिया गया है। सरकार ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस – दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 के अवसर पर टेली मानस मोबाइल एप्लिकेशन भी शुरू किया है। टेली-मानस मोबाइल एप्लिकेशन एक व्यापक मोबाइल प्लेटफॉर्म है जिसे मानसिक कल्याण से मानसिक विकारों तक के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों में सहायता प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा ऑडियो कॉलिंग सेवा के स्तरोन्नयन के रूप में टेली-मानस के तहत एक वीडियो परामर्श सुविधा शुरू की गई है।

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017 धारा 115 के तहत आत्महत्या को अपराध न मानकर इसे बहुत अधिक तनाव का परिणाम मानता है जिसके साथ ही, आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति की देखभाल, इलाज और पुनर्वास करना सरकार के उत्तरदायित्व को अनिवार्य बनाया गया है।

अमित कुमार एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में आपराधिक अपील संख्या 1425/2025 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 24.03.2025 के आदेश के अनुपालन में, विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या के प्रमुख कारणों की पहचान करने, मौजूदा नियमों का विश्लेषण करने और विद्यार्थियों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु सिफारिशों के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एस. रवींद्र भट, पूर्व न्यायाधीश, एससीआई की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कार्य बल (एनटीएफ) का गठन किया गया है।
